

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं०सं०-2/सा०चि०पदा०-59/2025-

/स्वा०, पटना, दिनांक-

डा० शाहिद परवेज, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बरैल, सुपौल के दिनांक-02.12.2021 से 24.05.2022 एवं दिनांक-08.08.2022 से 05.03.2023 तक उपभोगित अवकाश अवधि को वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1666(25), दिनांक-11.08.2025 तथा बिहार सेवा संहिता के नियम-180 एवं 230 के आलोक में निम्नवत् स्वीकृत किया जाता है :-

- (i) दिनांक-02.12.2021 से 24.05.2022 तक - कुल-174 (एक सौ चौहत्तर) दिन असाधारण अवकाश के रूप में।
- (ii) दिनांक-08.08.2022 से 14.08.2022 तक - कुल-07 (सात) दिन उपार्जित अवकाश के रूप में।
- (iii) दिनांक-15.08.2022 से 05.03.2023 तक - कुल-203 (दो सौ तीन) दिन असाधारण अवकाश के रूप में।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-


(विनोद कुमार पाठक)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-2/सा०चि०पदा०-59/2025- 833(2) पटना, दिनांक 20/4/2026

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सुपौल/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बरैल, सुपौल/जिला कोषागार पदाधिकारी, सुपौल/डा० शाहिद परवेज, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बरैल, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


सरकार के उप सचिव।